न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी (म.प्र.)

प्र क्र./0035/2020-21/अ-20(3)नजूल

मां रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना निर्माण में वन भूमि के बदले समतुल्य राजस्व भूमि वन विभाग को हस्तांतरण करने बावत्।

//आदेश//

(आज दिनांक 27-03-2021 को पारित)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ग्वालियर वृत्त ग्वालियर ने पत्र क्रमांक/मा.चि./20/3064 दिनांक 31.07.2020 से आयुक्त संभाग ग्वालियर से मां रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना निर्माण में कुल प्रभावित वन भूमि 1248.21 वन भूमि के बदले समतुल्य राजस्व भूमि अधिनस्त जिलों से उपलब्ध कराने की मांग की गई। इस क्रम में आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर ने पत्र क्रमांक/क्यू/राजस्व/19-15/22/2020/7121 दिनांक 24.08.2020 से पत्र दिनांक 31.07.2020 से शिवपुरी जिले से भारत सरकार की क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना को दृष्टिगत रखते हुये राजस्व भूमि उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया जिसके परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी/कोलारस से प्रतिवेदन तलब किया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	तह.न्या.का प्र.क्र.	अनु.अपि.का प्र.क्र.	ग्राम का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	परियोजना हेतु देने के लिये प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	ग्राम पंचायत का ठहराव प्रस्ताव क्र. व दि.	नक्शा खसरा	अन्य दस्तावेज
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	तह.शिवपुरी का प्र. क्र.0301/ब-121/2020-21	अनु.अपि.शिवपुरी का प्र.क्र. 0581/ब-121/2020-21	मझेरा	360	42.790	40.790	क्र. 07 दि.08.03.21	संलग्न है	उद्घोषणा जारी की गई
			बिरधा	101	20.900	18.990	क्र.08 दि.08.03.21	संलग्न है	उद्घोषणा जारी की गई
			अर्जुनगवा कलां	1/1	37.260	25.00	क्र.10 दि.08.03.21	संलग्न है	उद्घोषणा जारी की गई
2	तह.बदरवास का प्र.क्र./0187/ब-121/2020-21	अनु.अपि.कोलारस का प्र.क्र./0579/ब-121/2020-21	कुंडाई	1	20.96	20.96	क्र. 03 दि.08.03.21	संलग्न है	उद्घोषणा जारी की गई
			कुंडाई	2	8.10	8.10	क्र. 03 दि.08.03.21	संलग्न है	उद्घोषणा जारी की गई
			कुंडाई	3	26.03	26.03	क्र. 03 दि.08.03.21	संलग्न है	उद्घोषणा जारी की गई
			कुंडाई	4	5.46	5.46	क्र. 03 दि.08.03.21	संलग्न है	उद्घोषणा जारी की गई
3	तह.बदरवास का प्र.क्र./0188/ब-121/2020-21	अनु.अपि.कोलारस का प्र.क्र./0578/ब-121/2020-21	अजमपुर	57	29.08	29.08	क्र.04 दि.08.03.21	संलग्न है	उद्घोषणा जारी की गई
4	तह.रन्नौद का प्र.क्र./0101/ब-121/2020-21	अनु.अपि.कोलारस का प्र.क्र./0577/ब-121/2020-21	गुनाज	350	10.54	10.64	क्र.15 दि.08.03.21	संलग्न है	उद्घोषणा जारी की गई
			गुनाज	2250	51.60	51.66	क्र.15 दि.08.03.21	संलग्न है	उद्घोषणा जारी की गई
		योग	06		252.78	238.62			

Scanned by CamScanner

प्रकरण में संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा मां रतनगढ़ बहुउद्येशीय परियोजना निर्माण सेवढ़ा तिया के डूब क्षेत्र में प्रभावित वन भूमि के बदले राजस्व भूमि दिये जाने की सहमति प्रदान की गई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त भाग पर किसी प्रकार का कब्जा हीं है। उद्घोषणा इश्तहार प्रकाशन किया गया जिसमें अंदर मियाद कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। सरा नक्शा लाल स्याही से चिन्हित होकर प्रति संलग्न की गई है। उपरोक्त तालिका में वर्णित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोलारस के प्रस्ताव एंव ग्राम पंचायतों के ठहराव प्रस्ताव, जिला नजूल निर्वर्तन समिति की अनुशंसा तथा नगर निवेश गुना के अभिमत के आधार पर उक्त तालिका के कॉलन नं. 7 अनुसार 06 ग्रामों की कुल भूमि 236.62 हैक्टेयर भूमि मां रतनगढ़ बहुउद्येशीय परियोजना दतिया सेवढा, जिला दतिया के निर्माण में वन भूमि प्रभावित होने से वन भूमि के बदले राजस्व भूमि वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-1 एंव मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 की कण्डिका 17 के तहत म.प्र. शासन वन विभाग को निम्न शर्तों के अधीन निःशुल्क हस्तांतरित की जाती है।

1. भूमि जिस प्रयोजन हेतु आवंटित की जा रही है, उसका उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग किये जाने पर आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा;
2. आवंटन भूमि में से किसी प्रकार का उत्खनन नहीं किया जावेगा;

प्रकरण में संलग्न अक्श-नक्शा भी आदेश का भाग रहेगा। तहसीलदार बदरवास/ तहसीलदार शिवपुरी आवंटित भूमि का खसरे में अमल कराये एंव संबंधित विभाग को सीमांकन कराकर अधिपत्य दिलाये जाकर खसरा की प्रति प्रकरण में संलग्न करायें। बाद कार्यवाही प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड किया जावे।

कलेक्टर
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

प्रकरण क्र./0035/2020-21/अ-20(3)नजूल 491 – 500 शिवपुरी दिनांक 27/03/21

प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन वन विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. प्रधान- मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल दतिया की ओर सूचनार्थ।
5. आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
6. परियोजना प्रबंधक, मां रतनगढ़ परियोजना क्रियन्वयन इकाई सेवढ़ा जिला दतिया की ओर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोलारस/ शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. तहसीलदार शिवपुरी/ बदरवास की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि भूमि का राजस्व अभिलेख में अमल कराया जाकर संबंधित विभाग को भूमि का सीमांकन कराया जाकर अधिपत्य दिलायें एंव रिपोर्ट एक सप्ताह में प्रस्तुत करें।
9. अधीक्षक, भू-अभिलेख शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. राजस्व निरीक्षक नजूल(भू-अभिलेख) शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

Scanned by CamScanner